

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)  
आदेश

कं. 468 / दो-11-1 / 2018


जबलपुर, दिनांक- 11.06.2020

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण / पदस्थापना उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश पर्यन्त तक किया जाता है:-

कं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	किसके पर	स्थान
01.	सुरेन्द्र कुमार डुमार	(आवास भृत्य) तृतीय अपर जिला न्याया0	नाजरात जबलपुर	अनुभाग	प्रतीक चौबे
02.	प्रतीक चौबे K.P.S	नाजरात जबलपुर	(न्यायालय बाईसवें जबलपुर	भृत्य) व्य0वर्ग-1	राकेश पटैल कुमार
03	राकेश कुमार पटैल	(न्यायालय बाईसवें जबलपुर	(आवास भृत्य) तृतीय अपर जिला न्याया0	सुरेन्द्र डुमार	कुमार

नोट:-

01. आदेश, तत्काल प्रभावशील होगा।
02. पीठासीन अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि स्थानांतरित कर्मचारियों को वे भार मुक्त करें ताकि वे नवीन पदस्थापना पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।
03. स्थानांतरित कर्मचारियों को अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी प्रकार का लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

  
13/06/20

(संजय शुक्ला)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर (म.प्र.)